दिनांकः 02.08.2024 को डॉ० संजय कुमार, सिविल सर्जन–सह–उपाध्यक्ष–**DQAC**, शेखपुरा की अध्यक्षता में सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में समपन्न जिला गुणवत्ता यकिन समिति की समीक्षा बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति : यथापंजी।

सर्वप्रथम डॉ० संजय कुमार, सिविल सर्जन–सह–उपाध्यक्ष–DQAC, शेखपुरा के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए जिला गुणवत्ता यकिन, जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा को स्लाइड के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित गुणवत्ता यकिन कार्यक्रम का अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

Orientation of DQAC :

District Quality Assurance Committee का Orientation करते हुए Programme Officer–PCI के श्री पप्पु कुमार ने DQAC, DISC के Composition, Quality Policy, Review Machanism, DQAC के द्वारा Reporting एवं DQAU /DQT के सदस्यो का क्षमतावर्धन के साथ Monitoring of QA Activity एवं DQAC के Roll & Responsibility के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।

Facility Detail एवं कायाकल्प कार्यक्रम की समीक्षा :

DCQA के द्वारा बताया गया कि जिले में कुल कार्यरत स्वास्थ्य संस्थानों में DH–01, CHC–01 PHC –04, APHC– 17, HWC- 74 एवं HSC-30 है। कायाकल्प कार्यक्रम के तहत सभी संस्थानों का प्रत्येक तीन माह में Assessment किया जाना है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम त्रैमास में केवल 80.62 प्रतिशत संस्थान का Internal Assesment किया गया है। जिसपर सिविल सर्जन महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि सभी संस्थानो का शत–प्रतिशत Assesment एवं प्रथम त्रैमास मे पाये गये Gap को सिमम्वर माह तक Infection Control Committee के द्वारा किय गये प्रयास एवं Meeting Procceeding से हर माह के सात तारीख तक DQAC को अवगत कराने की जिम्मेदारी उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदा० की निगरानी में अस्पताल प्रबंधक/प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक की होगी एवं इसकी समीक्षा प्रत्येक माह को होने वाले DQAU की बैठक में की जाएगी एवं किये गये प्रयासों से DQAC की बैठक में जिला पदाधिकारी महोदय को अवगत कराया जाएगा।

NQAS :

DCQA के द्वारा बताया गया कि NQAS कार्यक्रम के तहत प्रथम त्रैमास में संस्थानों के द्वारा DH शून्य RH एक CHC एक PHC तीन APHC 10 HWC 57 Facility का ही Assessment किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं NHSRC के दिशा निर्देश के अनुसार सदर अस्पताल से लेंकर HWC सभी संस्थान का शत प्रतिशत Assessment प्रत्येक त्रैमास में किया जाना है। इस पर सिविल सर्जन महोदय ने नराजगी व्यक्त करते हुए DPM एवं DCQA को निर्देश दिये कि Assessment नहीं किये जाने वाले स्वास्थ्य संस्थानो की समीक्षा करते हुए एवं किस लेवल पर Assessment हेतुं प्रयास नहीं किया गया, उक्त संस्थानों के संबंधित पदा०/कर्मी के उपर की गई कार्यवाई की संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 15 दिनों में उपलब्ध कराई जाय।

404

NQAS की कार्ययोजना :

DCQA के द्वारा बताया गया कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड से तीन अच्छे संस्थानों का नाम (FY-2023-24 में Selected संस्थान को छोड़कर) की मॉग की गई थी जिसपर अगले तीन माह में कार्ययोजना बनाकर NQAS प्रमाणीकरण हेतु तैयारी की जा सके। जिसपर सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के मंतव्यानुसार एवं सभी सदस्यो की सहमति से संस्थान को चिन्हृत किया गया। जिसमें प्रखण्डवार सूचि निम्नवत् है:-

अरियरी	करकी, घुसखुरी, सोहडीह
बरबीघा	काशीविगहा, सामस, बभनवीघा
चेवाड़ा	सियानी, लूटौत (2023-24), गढ्डुआ, कुरमुरी
घाटकुसुम्भा	बाउघाट, कोरमा, गगौर
शेखोपुरसराय	निमी (2023-24), पनहेसा, वेलाव, अम्बारी
शेखपुरा	सिरारी (2023-24), रमनुबीघा, कामता, पुरनकामा

उपरोक्त संस्थानो के चयन का आधार- अच्छे सरकारी भवन, नामित CHO, कायाकल्प के अच्छे स्कोर, मरीजो की संख्या एवं Aspirational Block (नीति आयोग) के आधार पर कि गई है। एवं इस कार्य हेतु CHO का Oriention Training इत्यादि प्रत्येक सप्ताह में किया जाना है। DCQA द्वारा बताया गया कि इस कार्य हेतु कोई भी बजट उपलब्ध नहीं है। इसपर सिविल सर्जन महोदय ने NQAS Preparation हेतु यथा Oriention, Training इत्यादि में होने वाले खर्च जिला स्वास्थ्य समिति के Contingency यथा अन्य बजट जो तर्क संगत या उपयुक्त हो से खर्च किया जा सकता है। इस हेतु जिला लेखा प्रबंधक को निर्देश दिये कि NQAS हेतु तैयारी में पुर्ण सहयोग करेंगे। तांकि संसमय NQAS की तैयारी एवं Certification करायी जा सके। एवं प्रत्येक DQAC की बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी।

LaQshya:

DCQA के द्वारा बताया गया कि 21-22 अगस्त 2024 को सदर अस्पताल का LaQshya State Assessment किया जाना है। जिसपर सिविल सर्जन महोदय ने प्रसन्नता जाहिर की। रेफरल अस्पताल, बरबीघा में LaQshya कार्यक्रम में आने वाले चुनौती यथा BSU, NBSU एवं Anesthetic Doctor की कमी है। इसपर सिविल सर्जन महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि BSU को स्थापित करने हेतु मदर ब्लड बैंक से समन्वय स्थापित कर आवश्यक उपकरण इत्यादि हेतु SPO-MH एवं ब्लड बैक कोषांग राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के दिशा निर्देश में BSU, RH बरबीधा में स्थापित किया जाय। इसके लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बरबीधा को 15 दिनों में कार्ययोजना DQAC के समक्ष रखने को कहा गया। एवं Anesthetic Doctor हेतु अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथियावाँ में कार्यरत डॉ धिरेन्द्र किशोर से समन्वय स्थापित किया जाय।

Fire Safty

Fire Safty के बारे में DCQA के द्वारा बताया गया कि शेखपुरा जिलान्तर्गत एक भी स्वास्थ्य संस्थान अग्निशामक विभाग से NOC प्राप्त नहीं है। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक को निर्देश दिये कि संबंधित संस्थान Fire Department से समन्वय स्थापित कर कम से कम उन संस्थानों में जहाँ LaQshya/NQAS की तैयारी की जा रही है। उन संस्थानो का Fire Safty Audit एवं NOC प्राप्त कर एक माह के अन्दर DQAC को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

District Indemnity Schime :

DCQA के द्वारा बताया गया कि जुलाई 2024 तक District Indenity Schime के तहत DISC के समक्ष एक भी Failure/Death Claim नहीं है। परिवार नियोजन कैम्प के दौरान अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि लाभार्थियों के संख्या के अपेंक्षा में कम TL सेट का होना Proper Way में Strelization का नहीं होना, FDS में समय का निर्धारण नही होना, DQAC/DISC का Visit नहीं होना, परिवार नियोजन Certificate का वितरण नहीं होना इत्यादि है इसपर सिविल सर्जन महोदय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निर्देश दिये कि अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक तीन सदस्य टीम गठित करें, गठित टीम प्रत्येक माह कम से कम एक बार प्रत्येक संस्थान पर FDS का Supportive Supervision करेंगे। साथ ही उन संस्थान पर किये जा रहे LaQshya/NQAS कार्यक्रम की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की उपस्थिीति में समीक्षा भी करेंगे।

SaQsham Portal :

DCQA के द्वारा बताया गया कि SaQsham Portal पर शत–प्रतिशत संस्थानो का रजिस्ट्रेशन किया जाना है जिसमें अरियरी से 11, बरबीधा से 13 चेवाड़ा से 13, घाटकुसुम्भा से 02, शेखोपुरसराय एवं शेखपुरा से 01–01 संस्थान का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। जिसपर सिविल सर्जन महोदय द्वारा नराजगी व्यक्त की गई एवं निर्देश दिये कि सभी संस्थान का सक्षम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर 15 दिनो में DQAC को अवगत कराने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य प्रबंधक की होगी।

IPHS Survey :

DCQA के द्वारा बताया गया कि सभी संस्थानो का IPHS चेकलिस्ट के अनुसार Assessmemnt किया जा रहा है। जिसमें अरियरी से 07, बरबीधा से 05 चेवाड़ा से 07, घाटकुसुम्भा से 02, शेखोपुरसराय से 05 एवं शेखपुरा से 01 संस्थान का Assessment नहीं हुआ है। जिसपर सिविल सर्जन महोदय ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिये कि DCQA से समन्वय स्थापित कर 15 दिनों के अन्दर कार्य पुर्ण करना सुनिश्चित करें। इस कार्य की समीक्षा अगले DQAC बैठक में समीक्षा की जाएगी।

BMW :

DCQA के द्वारा बताया गया कि BMW का Segrigation हेतु BMW Rule 2016. Amendent 2018 एवं 2019 का पालन किसी भी संस्थान के द्वारा नहीं किया जा रहा है। एवं Synergy Weste Management Pvt. Limited के द्वारा भी नियमीत तय समय सीमा में उठाव नहीं किया जा रहा है। जिसपर सिविल सर्जन महोदय ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक को निर्देश दिये कि संस्थान के Infection Control Committee के द्वारा अस्पताल के सभी कर्मी को प्रत्येक 15 दिन पर प्रशिक्षण करायें एवं बैठक/प्रशिक्षण का प्रतिवेदन DQAC को भेजना सुनिश्चित करेंगे साथ ही साथ राज्य स्वास्थ्य समिति को DCQA के द्वारा भेजे गये BMW Monthly Report के आधार पर ही Synergy Weste Management Pvt. Limited को भुगतान करने की जिम्मेदारी जिला लेखा प्रबंधक की होगी।

Quality Assurance-Budget & Expenditure Review :

DCQA के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में अरियरी को कुल 11,44,000/– (ग्यारह लाख चौबालिस हजार रूपय) बरबीघा को कुल 12,36,500/– (बारह लाख छतीस हजार पॉच सौ रूपय) चेवाड़ा को कुल कुल 6,50,500/– (छः लाख पचास हजार पॉच सौ रूपय) घाटकुसुम्भा को कुल 11,000/– (ग्यारह हजार रूपय), शेखोपुरसराय को 4,16,500/– (चार लाख छः हजार पॉच सौ रूपय) एवं शेखपुरा को कुल 10,95,500/– (दस लाख पनचानवे हजार पॉच सौ रूपय) तथा सदर अस्पताल को 7,03,500/– (सात लाख तीन हजार पॉच सौ रूपय) लक्ष्य, NQAS एवं कायाकल्प कार्यक्रम के तहत बजट उपलब्ध करायी गयी थी जिसका मुल उद्देश्य लक्षित संस्थानों को लक्ष्य, NQAS एवं कायाकल्प कार्यक्रम के अनुरूप तैयार करना था। सदर अस्पताल एवं बरबीघा के द्वारा SOE उपलब्ध कराया गया है जबकी बजट आवंटन के उपरांत DQAC के द्वारा निर्देश दिया गया था कि बजट व्यय के पूर्व अस्पतालों का चिन्ह्त GAP से

DQAC को अवगत कराया जाय, ताकि NQAS एवं कायाकल्प के दिशा निर्देश के अनुरूप GAP Anaysis कर कार्य पूर्ण किया जाय तथा व्यय प्रतिवेदन ससमय अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय, जिसपर सिविल सर्जन द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कार्यक्रम प्रबंधक को आदेशित किये कि चार सदस्यी जॉच टीम का गठन कर सभी संस्थान का Physical Vs Financial जॉच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होने वाली DQAC की बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। तर्क संगत व्यय नहीं पाये जाने पर संबंधित कर्मी/पदा० पर विभागीय कार्यवाही की संचिका से DQAC के सभी सदस्य को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

13/08/24

जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा।

13/8/24

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा।

ज्ञापांक 394, दिनांक : 13/08/2024

प्रतिलिपिः जिला प्रतिनिधि PIRAMAL/PCI/UNFPA, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः DQAC के सभी सदस्यो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, शेखपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।
प्रतिलिपिः उपाधीक्षक, सदर अस्पताल/जिला प्रतिरक्षण पदा०/गैर संचारी रोग/संचारी रोग/ अपर मुख्य चिकित्सा पदा०, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः सिविल सर्जन, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।
प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अपर निदेशक–स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपिः आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपिः कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

13/08/24

जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा।

13/8/24

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा।